

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शखा)

पत्रांक.....

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय:-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय के पत्रांक 337/आ0 दिनांक 13.08.2014, 04 दिनांक 02.1.2015 एवं 283 दिनांक 14.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0-6244 दिनांक 07.08.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र आपको प्रेषित करते हुए राशन कार्ड की वितरण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। परन्तु इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी वांछित प्रतिवेदन अवतक अप्राप्त है। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण प्रतिवेदन अवतक विभाग को नहीं भेजा जा सका है। सुलभ प्रसंग हेतु विहित प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न।

विदित हो कि वांछित प्रतिवेदन हेतु सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 3122 दिनांक 15.04.2015 से पुनः स्मार पत्र प्राप्त हुई है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में प्रखंडवार/नगर निकायवार राशन कार्ड से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि समेकित कर वांछित प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....604/आ0 दिनांक...25.05.15

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने-अपने प्रखंड से वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही वांछनीय नहीं होगी।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक मधेपुरा जिला को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत के प्रखंड विकास पदाधिकारी से व्यक्तिगतरूप से सम्पर्क स्थापित कर वांछित प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि सभी संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर
25/05/15
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

पंकज कुमार
सचिव
Secretary



बिहार सरकार


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department
Main Secretariat, Patna - 800 015
Ph. No. - 0612-2232003 (O) 2239760 (Fax)
E-mail Id : secy-fsc-bih@nic.in

10A

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा: ~~...~~

अ0स0 पत्र संख्या-प्र06-विविध-39/14 3122 /खाद्य,पटना, दिनांक 15.04.15



प्रिय जगन्नाथ,

13 MAY 2015

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक अर्द्धसरकारी पत्र सं0- 6244 दिनांक 07.08.2014, पत्र सं0 - 7881 दिनांक 30.09.2014, पत्र सं0 -9644 दिनांक 18.12.2014 एवं पत्र सं0- 1642 दिनांक 24.02.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विहित प्रपत्र में राशन कार्ड वितरण का अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था जो अबतक अप्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में राशन कार्ड वितरण का अद्यतन प्रतिवेदन अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाय । प्रतिवेदन ई-मेल से भी भेजी जाय ।

शुभकामनाओं के साथ ।

भव दी य,

15/4/2015
(पंकज कुमार)

सेवा में,

श्री गोपाल मीणा,
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

778
13.5.15

95 132

राशन कार्ड वितरण

क्र०	जिला का नाम	पान्न गृहस्थी की संख्या	प्राप्त राशन कार्ड की संख्या	विस्तारित राशन कार्ड की संख्या	अवशेष राशन कार्ड की संख्या	दृष्टिपूर्ण राशन कार्ड की सं०	दुष्टि का कारण	वितरण का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10